28

(30)

(1)

# समक्षः– न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र.क्र.   /2015–16 पुनरावलोकन   रिव्यु - 3826 - I - 16

1 चतरी बेवा चतरू कलार निवासी श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0।

..................आवेदक

बनाम

1 म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर ।

2 म0प्र0 द्वारा सहायक संचालक उद्यान विभाग श्योपुर जिला श्योपुर म0प्र0 ।

3 कार्यपालन यंत्री सिचाई विभाग जल संसाधन विभाग श्योपुर म0प्र0

........................आवेदकगण

राजेन्द्र सिंह 7/11/16

471
7-11-16

कार्यालय कु0 सुनीता अग्रवाल शपथ आयुक्त जिला न्यायालय श्योपुर (म0प्र0)
पंजी क्र. 4569
दिनांक 5-11-16

*राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1008 /2012 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 05/10/16 के पुनरवअवलोकन हेतु आवेदक आवेदन पत्र धारा 51 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू0रा0स0 1959 ।*

कु0 सुनीता अग्रवाल
शपथ आयुक्त
श्योपुर (म0प्र0)

महोदय,

पुनर्वालोकन आवेदन निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

1 यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश मे ऐसी त्रुटी हुई है जो प्रकरण के अभिलेखों को देखने मात्र से स्पष्ट है तथा पुनरावलोकन के लिये प्रर्याप्त आधार निर्मित करती है ।

2 यह कि इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि सर्वे नम्बर 298, 299 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा आवेदक की पुश्तेनी भूमि है जिसमे 2 बीघा 15 विस्वा भूमि शासन द्वारा अधिकृत की गई थी शेष भूमि पर आवेदक काबिज होकर काश्तकारी कर रहा है ।

3 यह कि शेष भूमि 4 बीघा 15 विस्वा भूमि अधिग्रहण नहीं हुई थी इस सम्बन्ध मे गजट नोटिफिकेशन मे स्पष्ट है कि 4 बीघा 15 विस्वा भूमि को अधिग्रहण नहीं किया गया है उक्त सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र है कि मात्र 2 बीघा 15विस्वा भूमि अधिग्रहण की गई है शेष भूमि का इकरारनामा मुआवजे की राशि कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है 4 बीघा 15 विस्वा भूमि की अर्जन की

अ. नि. चतरीबाई

अ. नि. चतरीबाई

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक रिव्यु 3226/एक/16** जिला –श्योपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21-12-17 | आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ एवं अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री आर.पी. पालीवाल उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया।<br><br>2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1008/एक/12 में पारित आदेश दिनांक 05.10.16 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3226/एक/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।<br><br>3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1008/एक/12 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 05.10.16 से किया जा चुका है।<br><br>4– रिव्यु प्रकरण कमांक 3226/एक/16 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– | |

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य